



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270891  
CG-DL-E-12032026-270891

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 169]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2026

सा.का.नि. 175(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग), (च), (ज), (झ) और (ख) के साथ प्रठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 2026 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में, नियम 16, नियम 21 और नियम 21क का लोप किया जायेगा।”

[फा. सं. I-9/1/2026- डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 71 (अ), तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 122 (अ) तारीख 11 फरवरी, 2026 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2026

**G.S.R. 175(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Legal Metrology (General) Third Amendment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011, rules 16, 21 and 21A shall be omitted.

[F. No. I-9/1/2026-W&amp;M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.71(E), dated the 7th February, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R 122(E), dated the 11<sup>th</sup> February, 2026.